निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 52/2022
दायरा दिनांकः—08.06.2022
निर्णय दिनांकः— 25.9.24

उनवान

1. मक्को बाई पुत्री सुखचन्द जाति कबाडी निवासी ग्राम खातोली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मुकेश पुत्र रामदयाल जाति धोबी निवासी ग्राम मोरली तहसील छबडा हाल निवासी अदालत के पीछे कृष्ण विहार छबडा जिला बारां (राज0)
2. देवेन्द्र कुमार बुनकर पुत्र श्री गोपाललाल बुनकर जाति कोली निवासी चोचोडी दरवाजा छबडा जिला बारां (राज0)
3. ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र औकारलाल जाति बैरवा निवासी खेजडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 25.9.24
अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री उमाशंकर गोस्वामी — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 9 की 157/295 खसरा नंबर 29 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा में वादी का हिस्सा निहित 2 है। जिस पर वादिया अपने पिता के जमाने से 60—70 वर्षों से काश्त करती चली आ रही है। इस तरह खाता संख्या 43 की खसरा नंबर 32 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा में अपने हिस्से पर कब्जा काश्त करती चली आ रही है। खसरा नंबर 178/33 के खातेदार प्रतिवादी कम 1 बिना किसी कानूनी अधिकार एवं बिना किसी अधिकार हक के गैर कानूनी तरीके से नाजायज जबरन ताकत के बल पर एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैधानिक रूप से वादिया के खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर दखलअंदाजी एवं व्यवधान उत्पन्न करता चला आ रहा है। जिसका प्रतिवादी कम को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी कम 1 छबड़ा के भूमाफिया लोगों से मिलकर ऐनकेन प्रकारेण वादिया के लंबे समय से चली आ रही उसके खाते व कब्जे काश्त की आराजी से वंचित एवं महरूम करना चाहते हैं। जिसका प्रतिवादी कम 1 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी कम 1 का वादिया से किसी प्रकार का कोई हित संबंध एवं सरोकार नहीं है। इसके बावजूद बदनियती तरीके से वादिया को महिला होने से नाजायज परेशान करके ओने पोने दामों पर वादिया की बेशकीमती भूमि को खरीद करना चाहता है। इस हेतु प्रतिवादी कम 1 अनावश्यक

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

रूप से वादिया के खाते की आराजी को भूमाफिया को बेचान करने हेतु पुलिस प्रशासन एवं अन्य मोतबीरान व्यक्तियों द्वारा वादिया पर जमीन बेचाान करने हेतु वादिया पर भी दबाव बनाया गया एवं वादिया की जमीन पर अनाधिकृत रूप से जबरन कब्जा करने हेतु पैमाइश के बाहर जाकर पुलिस प्रशासन द्वारा गलत रूप से पत्थरगढी कर दी गई, जिसे देखकर वादिया अचंभित हो गई और वादिया ने तुरंत अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर हुए अतिक्रमण को तुरंत प्रभाव से हटा दिया। जिस पर भी वादिया के नाम पर एक मुकदमा थाना छबड़ा में दर्ज करा दिया गया। इस तरह भूमाफियाओं द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से एक गरीब असहाय महिला के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की जमीन को हड़प करने की कोशिश की जा रही है। जिसका प्रतिवादी कम 1 का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादिया ने जब उसकी भूमि पर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई तारफेंसिंग देखी तो तुरंत हल्का पटवारी के पास गई तो हल्का पटवारी महोदय ने वादिया को बताया कि जहां से तारफेंसिंग की गई है, वह जमीन तो आपके खातेदारी में है. हमनें तो दूसरे खातेदार की जमीन को नापा था प्रतिवादी कम 1 का आपकी जमीन में कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि उसके नंबर और आपके नंबर अलग–अलग है, जो नक्शे में पूर्णरूप से स्पष्ट है। वादिया को समस्त तथ्यों की जानकारी होने के वाद वादिया नियमानुसार प्रतिवादीगण के विरुद्ध पुलिस थाने में गई, पुलिस थाना छबड़ा ने प्रतिवादी कम 1 के दवाव के चलते उस पर कार्यवाही नहीं कर पुलिस थाना छबड़ा ने वादिया को कहा कि आप प्रतिवादी कम से संपर्क कर आपकी भूमि को बेचान कर दो वरना तुम्हारी जमीन ऐसे ही चली जाएगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वादिया ने जब पुलिस प्रशासन का यह रवैया देखा और यह देखकर वह समझ गई कि पुलिस प्रशासन से उसे न्याय की उम्मीद नहीं है, तब मानीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी को भूमाफियाओं के चंगुल से बचाने हेतु अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी कम 1 एवं भूमाफियाओं को वादिया की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से किए जा रहे कार्यों को रोके जाने एवं निषिद्ध किए जाने हेतु वादिया के पास माननीय न्यायालय में वाद पेश कर स्थाई निषेधाज्ञा से निषिद्ध कराने के अलावा अन्य कोई समीचीन रेमेडी उपलब्ध नहीं है। वादिया को अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से प्रतिवादी कम । द्वारा किए जा रहे अवैध एवं गैर कानूनी कार्यों को माननीय न्यायालय की सहायता से रूकवा सके और भविष्य में वादिया की आराजी में दखलअंदाजी एवं व्यवधान कब्जे काश्त में उत्पन्न नहीं करें। इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद कराने हेतु अधिकारिणी एवं नालिसी है। वाद कारण दिनांक 28.05.2022 को उत्पन्न हुआ, जब गैर कानूनी तरीके से वादिया के पति के विरुद्ध थाना छबड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट कर वादिया को उसके खातेदारी की भूमि से वेदखल करने की धमकी प्रतिवादी कम 1 द्वारा देने पर उत्पन्न हुआ है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन वाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 13.07.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खातोली सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 9 नकल जमाबन्दी ग्राम खातोली

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 42 नकल जमाबन्दी ग्राम खातोली सम्वत् 2073–76 खाता सख्या 62 पेश की गई। साक्ष्य वादी में PW1 मक्को बाई के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खातोली तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें वादीया का हिस्सा 157/295 एवं खाता संख्या 42 में 4/5 हिस्सा है प्रतिवादीगण बिना किसी हक अधिकार के गैर कानूनी तरीके से जबरन ताकत के बल से वादिया के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर दखल अन्दाजी करता चला आ रहा है। वादिया का प्रतिवादी क्रम 1 से किसी प्रकार का संबंध नही है वादिया की भूमि का ओने पोने दामो में खरीदना चाहता है वादिया पर जमीन बेचान करने का दबाव बनाया जा रहा है। प्रतिवादी भूमाफियाओं एवं पूलिस प्रशासन के सहयोग से गरीब असहाय महिला के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि को हडपने की कोशिश की जा रही है वादिया के कब्जे काश्त में प्रतिवादी क्रम 1 बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा वादिया की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर वादिया को बेदखल करने पर आमादा है प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। वादिया का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खातोली सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 9 में वादिया का हिस्सा 157/295 दर्ज है जिसमें वादिया एवं प्रतिवादी 1 व 2 तथा भागचन्द, राकेश के शामलाती खातेदारी में दर्ज हे नकल जमाबन्दी ग्राम खातोली सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 42 में वादिया व प्रतिवादी क्रम 3 के शामलाती खातेदारी में दर्ज है इससे यह स्पष्ठ है कि विवादित आराजी शामलाती खातेदारी की है वादिया द्वारा भूमि का विभाजन नही कराया है शामलाती खातेदारी की भूमि में यह नही कहां जा सकता है कि वादिया के हिस्से की भूमि कहां और किस दिशा में है जब तक भूमि का विभाजन नही हो जाता तब तक शामलाती खातेदारी की भूमि पर अन्य सहखातेदारों को स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया जा सकता। क्योकि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का भी विवादित भूमि में हिस्सा निहित है वादिया द्वारा सम्पूर्ण सहखातेदारान को पक्षकारान भी नही बनाया गया है शामलाती खातेदारी एवं सहखातेदारान के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती वादिया का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया/वादिया का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(समसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 52/2022	धारा 183 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 25.9.24
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री उमाशंकर गोस्वामी–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

1. मक्को बाई पुत्री सुखचन्द जाति कबाडी निवासी ग्राम खातोली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मुकेश पुत्र रामदयाल जाति धोबी निवासी ग्राम मोरली तहसील छबडा हाल निवासी अदालत के पीछे कृष्ण विहार छबडा जिला बारां (राज0)
2. देवेन्द्र कुमार बुनकर पुत्र श्री गोपाललाल बुनकर जाति कोली निवासी चोचोडी दरवाजा छबडा जिला बारां (राज0)
3. ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र औकारलाल जाति बैरवा निवासी खेजडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

प्रार्थीया/वादिया का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 25.9.24 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

		व्ययानुतोष	
		वादी	प्रतिवादी
क्र.सं.	व्यय मद		
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		